Fourteenth Loksabha

Session : 10
Date : 13-03-2007

Participants : Mahabir Prasad Shri

Title: The Minister of Small Scale Industries and Minister of Agro and Rural Industries laid a statement correcting the reply given on 28.11.2006 to Unstarred Question No. 987 regarding promotion of Agro and Rural Industries in Rajasthan alongwith the reasons for delay in correcting the reply.

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : अध्यक्ष जी, मैं, राजस्थान में कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने से संबंधित श्री जसवंत सिंह बिश्नोई द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रस्न सं. 987 के प्रत्युतर में दिनांक 28 नवम्बर, 2006 को दिए गए उत्तर का संशोधित विवरण सभा पटल पर रखता हूं:-

(क) राजस्थान सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों का संवर्धन दो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजनाओं अर्थात सरकार द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) तथा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के माध्यम से सरकार (कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में) द्वारा किया जाता है । हालांकि, पीएमआरवाई का कार्यान्वयन ग्रामीण एवं शहरी, दोनों क्षेत्रों में किया जाता है, पीएमआरवाई के अंतर्गत स्थापित लगभग पचास प्रतिशत इकाइयां अनुमानित तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं । ये इकाइयां कृषि एवं ग्रामीण उद्योग क्षेत्र का भाग है । पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में इन दो योजनाओं के पात्र लाभार्थियों द्वारा स्थापित इकाइयों एवं सृजित रोजगार की शर्तों के अनुसार हुई प्रगति निम्नलिखित सारणी में दी गई है:

वर्ष	आरईजीपी		पीएमआरवाई	
	इकाईयों की संख्या	रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)	इकाईयों की संख्या	रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)
2003-04	2496	51337	12769	19154
2004-05	1537	38287	12919	19378
2005-06	2133	59596	13760	20640

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 5944/07

इसके अतिरिक्त, सरकार ने पारम्परिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति) का अनुमोदन किया है । इस योजना में 2005-06 से शुरू करके पांच वर्षों में अन्य बातों के साथ-साथ खादी के 25 क्लॅस्टरों तथा ग्रामीण उद्योगों के 50 क्लॅस्टरों के विकास पर विचार किया गया है । स्फूर्ति के दिशा-निर्देश कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट **http.//ari.nic.in** पर उपलब्ध हैं ।

(ख) उपर्युक्त (क) पर वर्णित इकाइयों की स्थापना के लिए आवेदन कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में सरकार द्वारा सीधे प्राप्त नहीं किए जाते हैं । आरईजीपी के अंतर्गत पात्र उद्यमी के वीआईसी से मार्जिन मनी सहायता तथा सार्वजनिक क्षेत्र के किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से ऋण का लाभ उठाकर ग्रामीण उद्योग की स्थापना कर सकते हैं । इस प्रयोजन के लिए भावी उद्यमी को केवीआईसी के राज्य कार्यालयों अथवा संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड के जिला कार्यालयों अथवा सीधे ही कार्यान्वयन बैंकों को परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है । परियोजना का अनुमोदन संबंधित बैंकों द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन पर निर्भर करता

है । इसी प्रकार, पीएमआरवाई के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार युवा स्वीकार्य सब्सिडी एवं बैंकों से ऋण का लाभ उठाकर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण उद्योग की स्व-रोजगार इकाई स्थापित कर सकते हैं । यह योजना राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है । इस प्रयोजन के लिए, भावी उद्यमी को संबंधित जिला उद्योग केंद्र को एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है, जो तत्पश्चात् कार्यान्वयन बैंकों को छांटे गए सूचीबद्ध आवेदन प्रायोजित करते हैं ।

स्फूर्ति के अंतर्गत क्लस्टर विकास के लिए प्राप्त हुए सभी प्रस्तावों की जांच की गई है और खादी के 29 क्लस्टर (जिनमें राजस्थान में 2 क्लस्टर शामिल हैं), ग्रामीण उद्योगों के 50 क्लस्टर (जिनमें राजस्थान में 2 क्लस्टर शामिल हैं) और स्फूर्ति के अंतगत विकास के लिए कॅयर के 25 क्लस्टरों की पहचान की गई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है ।